2025:CGHC:42930

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका सिविल क्रमांक 3418/2022

धनीराम यादव, पिता श्री शिवनारायण यादव, आयु लगभग 58 वर्ष, निवासी रिंग रोड, अंबिकापुर, जिला अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़।

... याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1– छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, कैपिटल कॉम्प्लेक्स, अटल नगर, नवा रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़।

2– उप सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, कैपिटल कॉम्प्लेक्स, अटल नगर, नवा रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़।

... उत्तरवादीगण

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

याचिकाकर्ता की ओर से	: श्री मनोज परांजपे, वरिष्ठ अधिवक्ता, सहित श्री ऋषभ गुप्ता, अधिवक्ता
उत्तरवादी–राज्य की ओर से	: सुश्री उपासना मेहता, उप शासकीय अधिवक्ता

माननीय न्यायमूर्ति श्री अरविंद कुमार वर्मा

बोर्ड पर आदेश

25.08.2025

1. याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित अनुतोषों के साथ यह रिट याचिका प्रस्तुत की है:

"मांगा गया अनुतोष:

1. यह कि, यह माननीय न्यायालय कृपया रिट/रिट्स, आदेश/आदेशों, निर्देश/निर्देशों को जारी करने की कृपा करे, जिसके द्वारा उप सचिव, विधि एवं विधायी विभाग द्वारा दिनांक 14.07.2022 को पारित आक्षेपित आदेश (अनुलग्नक पी/1) को अभिखण्डित किया जा जाए और प्राधिकारियों को याचिकाकर्ता के नवीकरण के प्रकरण पर पुनर्विचार करने हेतु निर्देशित किया जाए, तथा उन्हें आगे यह निर्देश दिया जाए कि वे नोटरी अधिनियम, 1952 की धारा 4 के अधीन शासन द्वारा संधारित रजिस्टर में याचिकाकर्ता का नाम पुनः बहाल करें।

2. यह कि, यह माननीय न्यायालय प्रकरण के उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में जो भी अन्य अनुतोष उचित और उपयुक्त समझे, उसे प्रदान करने की कृपा करे।"

2. इस प्रकरण के सुसंगत तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता एक व्यवसायरत् अधिवक्ता है, जिसे जिला–अंबिकापुर, सरगुजा (छ.ग.) में 'नोटरी' के रूप में नियुक्त किया गया है। विधि एवं विधायी कार्य विभाग द्वारा याचिकाकर्ता के पक्ष में दिनाँक 11.07.2005 को '5 वर्ष' की अवधि के लिए आवश्यक प्रमाण पत्र जारी किया गया था और 5 वर्ष पूर्ण होने पर, उसके प्रमाण पत्र को समय–समय पर अगामी 5 वर्ष की अवधि के लिए नवीकृत किया गया था, यद्यपि, आदेश दिनांक 14.07.2022 द्वारा, राज्य शासन ने याचिकाकर्ता के नोटरी प्रमाण पत्र का नवीकरण न करने और तत्पश्चात, नोटरी रजिस्टर से उसका नाम हटाने का निर्णय लिया है। अतः, यह रिट याचिका प्रस्तुत की गई है।

3. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया कि राज्य शासन ने आक्षेपित आदेश अनुलग्नक पी–1 पारित करते समय न तो कोई कारण बताया और न ही याचिकाकर्ता को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किया, और साथ ही नोटरी अधिनियम, 1952 की धारा 5 के प्रावधानों तथा नोटरी नियमावली, 1956 के नियम 13(4–क) की भी अनदेखी की। दिनांक 04.10.2021 के नोटिस में निहित आरोप ही याचिकाकर्ता के प्रमाण पत्र के नवीकरण से इनकार करने का आधार हैं, यद्यपि, न तो उक्त आरोपों के संबंध में कोई जांच की गई है और न ही नोटरी नियमावली, 1956 के नियम 13 के अधीन परिकल्पित विहित प्रक्रिया का अनुपालन किया गया है। लाइसेंस की समाप्ति से पूर्व, याचिकाकर्ता ने सक्षम प्राधिकारी के समक्ष नोटरी प्रमाण पत्र के नवीकरण हेतु आवेदन अनुलग्नक पी–6 प्रस्तुत किया था, जो अभी भी विचार हेतु लंबित है। अतः, याचिकाकर्ता उपरोक्त प्रार्थना सहित इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ है। अपने तर्कों के समर्थन में, उन्होंने इस न्यायालय द्वारा रिट याचिका सिविल क्रमांक 3066/2022 और 4604/2024 में दिनांक 09.10.2023 और 17.03.2025 को पारित निर्णयों/आदेशों का अवलंब लिया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित अधिवक्ता के तर्कों का विरोध किया और यह तर्क किया कि उत्तरवादी–प्राधिकारी ने प्रकरण के समस्त तथ्यों पर विचार करने के पश्चात ही आक्षेपित आदेश अनुलग्नक पी–1 पारित किया है। उन्होंने आगे तर्क किया कि लाइसेंस के नवीकरण हेतु याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को अधिकारियों द्वारा पूर्णतः विधि के अनुसार अस्वीकार किया गया है। अतः, वर्तमान रिट याचिका खारिज किए जाने योग्य है।

5. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया तथा अभिलेख पर प्रस्तुत सामग्री का परिशीलन किया गया।

6. सुलभ संदर्भ हेतु, नोटरी अधिनियम, 1952 ('1952 का अधिनियम') की धारा 10 निम्नानुसार है:

> **"10. नामों का रजिस्टर के हटाया जाना–** किसी नोटरी की नियुक्ति करने वाली सरकार, आदेश द्वारा धारा 4 के अधीन उसके द्वारा रखे जाने वाले रजिस्टर से नोटरी का नाम हटा सकती है यदि–
>
> (क) वह हटाए जाने के लिए अनुरोध करता है। या
>
> (ख) उसने संदाय किए जाने के लिए अपेक्षित विहित फीस का संदाय नहीं किया है; या
>
> (ग) वह अननुमोचित दिवालिया है। या
>
> (घ) यह विहित रीति से जांच करने के पश्चात्, ऐसे वृत्तिक या अन्य कदाचार का दोषी पाया गया है जो सरकार की राय में उसे नोटरी के रूप में व्यवसाय करने के लिए अयोग्य बनाता है: या
>
> (ङ) ऐसे किसी अपराध के लिए जिसमें नैतिक अधमता अंतर्वलित हो, किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया जाता है; या
>
> (च) अपने व्यवसाय के प्रमाणपत्र को नवीकृत नहीं कराता है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. नोटरी नियमावली, 1956 ('1956 की नियमावली') का नियम 13 निम्नानुसार है:

> **"13. नोटरी के वृत्तिक या अन्य कदाचार के आरोपों की जांच।**
>
> 1. किसी नोटरी के कदाचार की जांच या तो उपयुक्त सरकार द्वारा स्वतः संज्ञान लेकर या प्रारूप XIII में प्राप्त शिकायत के आधार पर प्रारंभ की जा सकेगी]
> 2. ऐसी प्रत्येक शिकायत में निम्नलिखित विवरण होंगे, अर्थात्:—
>
> (क) वे कार्य और लोप, जो सिद्ध होने पर, उस व्यक्ति को नोटरी होने के लिए अयोग्य बना देंगे;
>
> (ख) शिकायत में लगाए गए आरोपों के समर्थन में मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य, जिन का अवलंब लिया गया है।
>
> 3. उपयुक्त सरकार ऐसी शिकायत को, जो उचित प्रारूप में नहीं है या जिसमें उपरोक्त विवरण नहीं हैं, शिकायतकर्ता को आपत्तियों के अनुपालन और निर्दिष्ट समय के भीतर पुनः प्रस्तुत करने हेतु लौटा देगी:
>
> परंतु यह कि यदि शिकायत की विषय–वस्तु, सरकार की राय में, किसी पिछली शिकायत के समान है और कोई अतिरिक्त आधार नहीं है, तो सरकार बिना किसी कार्रवाई के उक्त शिकायत को नस्तीबद्ध कर देगा और शिकायतकर्ता को सूचित करेगा।

4. शिकायत प्राप्त होने के सामान्यतः साठ दिनों के भीतर, उपयुक्त सरकार उसकी एक प्रति नोटरी को उसके उस पते पर भेजेगी जो नोटरी रजिस्टर में दर्ज है।

[4(क) जहाँ उपयुक्त सरकार द्वारा स्वतः संज्ञान लेकर जांच शुरू की जाती है, वहाँ सरकार नोटरी को उन आरोपों का विवरण भेजेगी, साथ ही उन मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्यों का विवरण भी देगी जिन पर उन आरोपों के समर्थन में अवलंब लिया गया है।

5. वह नोटरी जिसके विरुद्ध जांच प्रारंभ की गई है, उप–नियम (4) के अधीन शिकायत की प्रति या उप–नियम (4क) के अधीन आरोपों के विवरण की तामील होने के चौदह दिवस के भीतर, या सरकार द्वारा बढ़ाए गए समय के भीतर, अपना लिखित कथन भेज सकता है, जो व्यवहार न्यायालय के अभिवचन की भांति सत्यापित होना चाहिए।

6. यदि संबंधित नोटरी के लिखित विवरण और अन्य सुसंगत दस्तावेजों के अवलोकन के पश्चात उपयुक्त सरकार को लगता है कि नोटरी के विरुद्ध प्रथम दृष्टया प्रकरण बनता है, तो सरकार सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रकरण की जांच कराएगी। यदि सरकार की राय में कोई प्रथम दृष्टया प्रकरण नहीं बनता है, तो शिकायत या आरोप को नस्तीबद्ध कर दिया जाएगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. इस नियम के अधीन नोटरी को जारी प्रत्येक नोटिस पंजीकृत डाक द्वारा भेजा जाएगा। यदि नोटिस इस टिप्पणी के साथ वापस आता है कि प्राप्तकर्ता ने इसे लेने से अस्वीकार कर दिया है, या यदि तीस दिवस के भीतर वापस नहीं आता है, तो इसे विधिवत तामील मान लिया जाएगा।

8. यह उपयुक्त सरकार का कर्तव्य होगा कि वह सक्षम प्राधिकारी के समक्ष वे सभी तथ्य रखे जो उसकी जानकारी में आए हैं और जो जांच के उद्देश्य के लिए सुसंगत हैं।

9. जिस नोटरी के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है, उसे स्वयं या विधि व्यवसायी या किसी अन्य नोटरी के माध्यम से सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपना बचाव करने का अधिकार होगा।

10. इन नियमों में अन्यथा प्रावधान के अतिरिक्त, सक्षम प्राधिकारी को अपनी जांच प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्ति होगी और वह साक्षियों की जांच कर सकता है तथा मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्राप्त कर सकता है।

11. सक्षम प्राधिकारी अपनी रिपोर्ट उस सरकार को सौंपेगा जिसने उसे जांच सौंपी थी।

12. (क) उपयुक्त सरकार सक्षम प्राधिकारी की रिपोर्ट पर विचार करेगी और यदि आगे की जांच आवश्यक हो, तो वह ऐसी जांच करा सकती है।

(ख) रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात, यदि सरकार की राय है कि नोटरी के विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए, तो वह कदाचार की प्रकृति और गंभीरता के अनुसार निम्नलिखित आदेश दे सकती है:

(i) व्यवसाय प्रमाण पत्र को निरस्त करना और नोटरी को व्यवसाय करने से स्थायी रूप से वर्जित करना; या

(ii) उसे एक निर्दिष्ट अवधि के लिए व्यवसाय से निलंबित करना; या

(iii) उसे चेतावनी देकर छोड़ देना।

13.हटाने की अधिसूचना— नोटरी के रजिस्टर से किसी नोटरी का नाम हटाने या व्यवसाय से हटाने की अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा और संबंधित नोटरी को लिखित रूप में सूचित किया जाएगा।"

8. उपरोक्त नियम के सावधानीपूर्वक परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि किसी नोटरी के कदाचार की जांच या तो उपयुक्त सरकार द्वारा स्वतः संज्ञान लेकर या विहित प्रपत्र में प्राप्त शिकायत के आधार पर प्रारंभ किया जा सकता है; और इस प्रकार की गई शिकायत पर, शिकायत की एक प्रति नोटरी को दिए गए पते पर भेजी जाएगी, और तत्पश्चात, नोटरी को अपने बचाव में एक लिखित कथन प्रस्तुत करना होगा जो व्यवहार न्यायालय के अभिवचन की भांति सत्यापित हो; और यदि लिखित कथन के परिशीलन पर नोटरी के विरुद्ध प्रथम दृष्टया प्रकरण पाया जाता है, तो उपयुक्त सरकार जांच करेगी और यदि कोई प्रथम दृष्टया प्रकरण नहीं पाया जाता है, तो प्रकरण को नस्तीबद्ध कर दिया जाएगा तथा शिकायतकर्ता और नोटरी को तदनुसार सूचित किया जाएगा। नियमों में नोटिस भेजने का तरीका भी विहित किया गया है। नियमावली, 1956 के नियम 13 का उप–नियम (9) स्पष्ट रूप से यह प्रावधान करता है कि नोटरी को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष स्वयं या विधि व्यवसायी या किसी अन्य नोटरी के माध्यम से अपना बचाव करने का अधिकार होगा और उप–नियम (10) के आधार पर, वह साक्षियों का परीक्षण करने का और साक्ष्य प्रस्तुत करने का भी हकदार है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. राज्य द्वारा प्रस्तुत जबाव तथा राज्य शासन द्वारा पारित आदेश के सावधानीपूर्वक परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि आक्षेपित आदेश पारित करते समय राज्य द्वारा उपरोक्त वर्णीत किसी भी नियम का अनुपालन नहीं किया गया। याचिकाकर्ता का नोटरी प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया गया है, जो नियमावली, 1956 के नियम 13 के विपरीत है, क्योंकि न तो शिकायत भेजी गई और न ही बचाव मांगा गया, यहाँ तक कि कोई जांच भी नहीं की गई और याचिकाकर्ता को अपना बचाव करने का अवसर भी नहीं दिया गया, साथ ही शिकायत विहित प्रपत्र में नहीं थी। अतः, राज्य शासन द्वारा पारित आदेश नियमावली, 1956 के नियम 13 में निहित प्रावधानों के पूर्णतः विपरीत है (समर्थन के लिए देखें: एस.एल. गुप्ता विरुद्ध छत्तीसगढ़ राज्य, 2011 (1) एमपीएचटी(छ.) 92)।

10. प्रकरण के तथ्यों, मांगे गए अनुतोषों की प्रकृति, पक्षकारों के अधिवक्तागण के तर्कों, विशेषतः 1952 के अधिनियम की धारा 10 तथा 1956 की नियमावली के नियम 13 के प्रावधानों पर विचार करते हुए, और इसके अतिरिक्त इस न्यायालय द्वारा रिट याचिका सिविल क्रमांक 3066/2022 और

4604/2024 में दिनांक 09.10.2023 और 17.03.2025 को पारित निर्णयों/आदेशों पर विचार करते हुए, यह न्यायालय इस रिट याचिका को स्वीकार करने का इच्छुक है।

11. तदनुसार, रिट याचिका स्वीकार की जाती है। आक्षेपित आदेश दिनांक 14.07.2022 (अनुलग्नक पी/1) को एतद्द्वारा अपास्त किया जाता है।

12. संबंधित उत्तरवादी–प्राधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे इस आदेश की प्रतिलिपि प्राप्त होने की तिथि से **'60 दिवस'** की अवधि के भीतर, नोटरी अधिनियम, 1952 तथा नोटरी नियमावली, 1956 के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में तथा विधि/नियमों के सख्ती से अनुपालन के साथ, याचिकाकर्ता के नोटरी प्रमाणपत्र के नवीकरण के प्रकरण पर पुनर्विचार करें।

सत्य प्रतिलिपि नियमानुसार।

सही/–

(अरविंद कुमार वर्मा)

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**